संख्या– /XVIII-(2)/17-15(22)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 28 दिसम्बर, 2017

विषयः– सामुदायिक रेडियो स्टशनों हेतु प्रोत्साहन नीति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सामुदायिक रेडियो का तात्पर्य एक ऐसी रेडियो सेवा से है, जिसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी हो और जो लोगों को उनकी भाषा में स्थानीय परिप्रेक्ष्य में वांक्षित जानकारियाँ उपलब्ध करवाये व स्थानीय समस्याओं के निदान में सहायता करे। सामुदायिक रेडियो जन–जागरूकता का एक सशक्त माध्यम हो सकता है और आपदा प्रबन्धन में जागरूकता के महत्व के दृष्टिगत इस माध्यम का उपयोग आपदा से पहले, आपदा के समय व आपदा के बाद सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

प्रसारित किये जाने वाले कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी होने के कारण लोग सामुदायिक रेडियो स्टेशन के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं और इसी के कारण इनके माध्यम से प्रसारित की जा रही जानकारियों की लोगों में प्रायः अधिक स्वीकार्यता होती है। सामुदायिक रेडियो द्वारा समुदाय में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन लाने की क्षमता को स्वीकार करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित करने के लिये लाईसेंस प्रदान करने की नीति को अत्यन्त सरल बनाया गया है ताकि शैक्षणिक संस्थानों, सिविल सोसाईटी और स्वैच्छिक संगठन के साथ–साथ अन्य गैर–लाभकारी संगठनों के द्वारा सामुदायिक रेडियो स्टेशन स्थापित कर के लोगों के मध्य विभिन्न जानकारियों का प्रचार–प्रसार किया जा सके।

उत्तराखण्ड राज्य अपनी स्थालाकृति, भूगर्भीय संरचना तथा अत्यधिक मौसमी वर्षा के कारण विभिन्न आपदाओं के प्रति संवेदनशील है। विगत के अनुभव बताते हैं कि निरन्तरता में आपदाओं से होने वाली क्षति को कम करने के लिये सभी के द्वारा आपदा सुरक्षा उपायों का स्वैच्छिक अनुपालन करना अत्यन्त आवश्यक है। ऐसे में सही जानकारियों को सही प्रारूप व भाषा में दूर–दराज क्षेत्रों तक पहुँच पाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। फिर यहाँ पहाड़ों में पहुँच से जुड़ी कठिनाईयों के कारण इन जानकारियों को हर जगह तक आसानी से पहुँचा पाना भी सरल नहीं है। ऐसे में सामुदायिक रेडियो, आपदा प्रबन्धन चक्र के सभी चरणों में आपदा रोकथाम, न्यूनीकरण, प्रतिवादन, संचार, सुरक्षित निर्माण, खोज एवं बचाव व अन्य से जुड़ी विभिन्न जानकारियों के व्यापक प्रचार–प्रसार के लिये एक सशक्त माध्यम के रूप में सामने आता है।

अतः उत्तराखण्ड राज्य में सामुदायिक रेडियो की गतिविधियों को बढ़ावा देने के साथ–साथ नये सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की स्थापना को प्रोत्साहित करने तथा पूर्व में स्थापित केन्द्रों को सुदृढ़ करने हेतु **''सामुदायिक रेडियो स्टेशनों हेतु प्रोत्साहन नीति''** को लागू किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2 भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप सामुदायिक रेडियो केन्द्रों की स्थापना हेतु लाईसेंस प्राप्त संस्थान/सामुदायिक संस्थायें जो राज्य में सामुदायिक रेडियो केन्द्र स्थापित करना चाहते हैं या जिनके द्वारा राज्य में इस प्रकार के केन्द्र स्थापित किये गये हैं उन्हें उनके द्वारा दी जा रही सेवाओं को गुणवत्तापरक व प्रभावी बनाने के

साथ–साथ इन सेवाओं से राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों को आच्छादित करने के लिये आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा सहायता एवं आवश्यक सुविधायें निम्नानुसार उपलब्ध करवायी जायेगीः–

1.1 नये सामुदायिक रेडियों केन्द्र की स्थापना के लिये सम्बन्धित संस्थानों/सामुदायिक संस्थाओं को अधिकतम् रू0 5.00 लाख की सीमा तक कुल परियोजना लागत की 30 प्रतिशत राशि एकमुश्त अनुदान के रूप में उपलब्ध करवायी जायेगी।

1.2 अनुदान प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित संस्था को वांछित अभिलेखों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा।

1.3 राज्य सरकार द्वारा दी जा रही इस सहायता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सामुदायिक रेडियो केन्द्रों के द्वारा दी जाने वाली सेवाओं से विशेष रूप में राज्य का सुदूरवर्ती क्षेत्र पूरी तरह से आच्छादित हो। अतः संसाधनों के सीमित होने की स्थिति में ऐसे जनपदों में सामुदायिक रेडियों केन्द्र स्थापित करने में इच्छुक संस्थानों/सामुदायिक संस्थाओं को प्राथमिकता दी जायेगी जो आपदा की दृष्टि से अधिक संवेदनशील हो और जहाँ पहले से सामुदायिक रेडियो केन्द्र संचालित नहीं हों।

1.4 किसी आपदा से प्रभावित होने के उपरान्त यथाशीघ्र पुनः प्रभावी रूप से सेवायें दे सकने के दृष्टिगत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त सामुदायिक रेडियो केन्द्र को अपने सभी संसाधनों का अनिवार्य रूप से आपदा बीमा करवाना होगा।

1.5 सरकार से सहायता प्राप्त करने से पूर्व सम्बन्धित संस्थान/संस्था द्वारा सुसंगत व विभाग द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थान से यह पुष्टि करवानी होगी कि उनके द्वारा सामुदायिक रेडियो केन्द्र की स्थापना हेतु चयनित स्थान भू–वैज्ञानिक दृष्टि से सुरक्षित है व इस हेतु बनाये जा रहे या बनाये गये भवन के निर्माण में भूकम्प सुरक्षित निर्माण तकनीक का उपयोग न होने की स्थिति में सम्बन्धित भवन का भूकम्पीय सुदृढ़ीकरण करवाने के उपरान्त उक्त का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित संस्थान से प्राप्त कर विभाग को उपलब्ध करवाना होगा।

1.6 राज्य सरकार से सहायता प्राप्त करने हेतु सम्बन्धित संस्थान/संस्था को स्थानीय स्तर पर न्यूनतम 03 वर्षो तक कार्य करने का अनुभव अनिवार्य होगा अथवा इस अवधि से स्थानीय स्तर पर कार्यरत संस्था के सहयोग से रेडियो स्टेशन स्थापित किया जाना होगा।

1.7 राज्य में स्थापित सामुदायिक रेडियो केन्द्रों को आर्थिक स्वावलम्बन प्रदान करने तथा इनकी गतिविधियों में निरन्तरता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा राज्य सरकार के साथ–साथ केन्द्र सरकार के विभागों से समन्वय कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रचार–प्रचार हेतु उपलब्ध बजट के एक नियत अंश का उपयोग प्राथमिकता के आधार पर जनपद स्तर पर स्थापित सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को विज्ञापन देने के लिये किया जाये। इस प्रकार के विज्ञापनों के लिये राज्य सरकार के सूचना व जन–सम्पर्क विभाग द्वारा अनुमन्य दरें मान्य होंगी।

1.8 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित जानकारियों को जन मानस तक पहुँचाने के लिये जनपद व राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को सहयोग दिया जायेगा व

यथा–आवश्यकता उनके द्वारा उपलब्ध करवायी गयी आपातकालीन सूचनाओं व जानकारियों के प्रसारण को सर्वोच्च वरीयता दी जायेंगी। ऐसा किया जाना आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अनुरूप अनिवार्य है।

1.9 आपदा प्रबन्धन अधिनियम द्वारा आपातकालीन सूचनाओं के वरीयता के आधार पर प्रसारण करने की अवहेलना का दोषी पाये जाने पर विभाग सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को उक्त सामुदायिक रेडियो केन्द्र का लाईसेन्स निरस्त करने की संस्तुति करने के लिये स्वतंत्र होगा।

1.10 राज्य सरकार के सहायता प्राप्त सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को उनके कुल प्रसारण समय का 10 प्रतिशत समय आपदा प्रबन्धन विषयक प्रचार–प्रसार हेतु आरक्षित करना होगा। इस आरक्षित समय में प्रसारित की जाने वाली जानकारियाँ सुसंगत प्रारूप में सम्बन्धित सामुदायिक रेडियो केन्द्र को उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण का होगा।

1.11 राज्य द्वारा सहायता प्राप्त सामुदायिक रेडियो केन्द्र को हर दूसरे माह में उसके द्वारा विगत 02 माह में प्रसारित कार्यक्रमों की कुल समयावधि का विवरण सम्बन्धित जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण को उपलब्ध करवाना होगा।

1.12 आपदा की स्थिति में विद्युत आपूर्ति के बाधित होने से सामुदायिक रेडियो केन्द्रों के संचालन में आने वाले व्यवधान के दृष्टिगत राज्य में स्थापित सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को सौर ऊर्जा चलित बनाने के लिये वैकल्पिक ऊर्जा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत उन्हें प्राथमिकता के आधार पर संयत्र आवंटित करने की संस्तुति की जायेगी व इस हेतु विभाग के साथ समन्वयन किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित करवाया जायेगा कि इन सामुदायिक रेडियो केन्द्रों को अन्य अनुमन्य सुविधायें भी दी जायेगी।

1.13 राज्य सरकार के किसी विभाग से प्राप्त अनुदान/सहायता के आधार पर विकसित किये गये जागरूकता संसाधनों पर सम्बन्धित समुदायिक रेडियो केन्द्रों को प्रसारण हेतु उपलब्ध करवायी जानी होगी।

1.14 राज्य में स्थापित समस्त सामुदायिक रेडियो स्टेशनों को भारत सरकार द्वारा सामुदायिक रेडियो के प्रसारण हेतु प्रख्यापित नीतिगत दिशा–निर्देशों तथा समय–समय उक्त हेतु जारी संशोधनों के अनुरूप प्रसारण व अपनी अन्य गतिविधियों का संचालन करना होगा।

1.15 सामुदायिक रेडियो केन्द्र व विभाग के मध्य मतभेद की स्थिति में विवादों के निस्तारण के लिये प्राविधान सामुदायिक रेडियो केन्द्र स्थापित करने वाली संस्थाओं, के साथ किये जाने वाले एम0ओ0यू0 में रखा जायेगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या–192 मतदेय/वित्त अनु0–5/2017,दिनांक 20 दिसम्बर, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

(12)

संख्या–2502(1)/XVIII-(2)/17-15(22)/2016, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– सचिव, श्री राज्यपाल जी, उत्तराखण्ड।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड, देहरादून।
5– आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल।
6– सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
7– संयुक्त सचिव(डी0एम0 डिवीजन), गृह मंत्रालय, भारत सरकार।
8– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
9– समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
10– महानिदेशक, सूचना एवं लोकसंपर्क निदेशालय, उत्तराखण्ड।
11– निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– अधिशासी निदेशक, आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबन्धन केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13– वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
14– उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह इस नीति के प्रकाशन राजकीय गजट में प्रकाशित नीति की 100 प्रतियां आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
15– गार्ड फाईल

आज्ञा से

(अमित सिंह नेगी)
सचिव